

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

निःशुल्क बीज मिनीकिट के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर करें
आवेदन

रबी 2026-27 के तहत चना, मटर, मसूर, राई/सरसों और अलसी के मिनीकिट व
अनुदानित बीज उपलब्ध

लक्ष्य की सीमा तक ही संभव होगी बुकिंग, नजदीकी जन सेवा केंद्र या क्षेत्रीय
कार्मिक से भी ले सकते हैं सहायता

लखनऊ: 24 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबी सत्र 2026-27 के अंतर्गत निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण तथा अनुदान पर उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराना अनिवार्य किया गया है।

विभागीय योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में चना की 84,506, मटर की 15,268, मसूर की 1,09,700, राई/सरसों की 4,95,578 तथा अलसी की 30,000 निःशुल्क मिनीकिट वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दलहन की विशेष योजना के तहत 8 वर्ष से कम अवधि के मसूर के बीज पर शत-प्रतिशत तथा चना व मटर के बीज पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान देय है, जबकि गेहूं, जौ एवं राई/सरसों के उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

सभी प्रकार की बुकिंग निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ही मान्य होगी, इसलिए कृषक यथाशीघ्र विभागीय पोर्टल पर जाकर किसान पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपनी आवश्यकतानुसार फसल मिनीकिट अथवा बीज का चयन कर आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, बीज भंडार, जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक से संपर्क स्थापित कर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र- डॉ० मनोज चन्द्रा।

मनीष कुमार चौरसिया/03:30 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ईमेल: upsoochna@gmail.com

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upsoochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in